

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 98 / 2017 वाद

दायर दिनांक 13.11.2017

उनवान

1. रतना पिता उदा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 राधी बेवा उदा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. गेरू पिता नोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकर पिता नोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. सोहनी पुत्री नोला पत्नी डालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा हाल रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. माधवलाल मुतबन्ना प्रथा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. माधवलाल पिता हरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रामेश्वर पिता हरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बट्टीलाल पिता हरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. शान्तिलाल पिता हरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मु0 कमला पुत्री हरलाल पत्नी भगवान जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा हाल लाला जी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. मु0 सन्तोष पुत्री हरलाल पत्नी धनराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. मु0 प्रेमी पुत्री हरलाल पत्नी भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा हाल हमेरपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. मु0 प्रताबीबाई पत्नी स्व0 हरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. वरदीचन्द पिता चम्पालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. काशीराम पिता चम्पालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. नारायण पिता किशोर जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
16. मु0 रामी बेवा किशोर जाति जाट आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
17. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 03.09.2024

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हाल जमाबन्दी दर्ज खाता संख्या 35 से आ०सं० 190, 191, 315, 728, 735, 736, 737, 738, 770/738 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 1.50 हैक्ट० स्थित है में वादीगण का 5/16 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का 3/16 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 12 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13-14 का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15-16 का भी 1/8 हक हिस्सा निहित है। व लगान संयुक्त ही जमा कराते चले आ रहे है।

यह कि उल्लेखित संयुक्त आराजीयात का मुक्कमल बंटवाडा हम खातेदारान के बीच नहीं है व आराजीयात काश्त करने जोने-बोने, फसल लेने, पेड लगाने, लगान बांटने जमा कराने एवं सीमा बाबत् पडोसीयों से भी अक्सर विवाद रहता है जिससे हम वादीगण अपना 5/16 हक हिस्सा मौके अनुसार मिट्स एवं बॉण्ड पर अलग बंटवाडा हमारे हक में किये जाने की प्रार्थना करते है। जिसमें किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रहे।

यह कि हम वादीगण ने सहखातेदारान प्रतिवादीगण से सहमति से बंटवाडा कराने को दिनांक 01.10.2017 को कहा परन्तु किसी को आने का समय नहीं होना बता विवाद किया मना करने से बिनाय वाद शुरूआत होकर दिनांक 01.10.2017 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि—

यह कि वाद उल्लेखित आराजीयात बंटवाडा की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वादीगण हिस्सा 5/16 हक मिट्स एवं बॉण्ड पर वादीगण के हक में बंटवाडा अलग फरमा लगानबन्दी अलग दर्ज फरमावें।

यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील व अन्य मुफिद दाद जो वादीगण हो दिलाई जावें।
सत्यमेव जयते

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व 16 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 20.12.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 की ओर इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा०फा० है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 14.03.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 29.03.2019 से प्रस्तुत जो शा०फा० है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी जरिये अधिवक्ता श्री डालचन्द जाट द्वारा प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2024 से खारिज किया गया। वकील वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने से आज दिनांक 03.09.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हाल जमाबन्दी दर्ज खाता संख्या 35 से आ०सं० 190, 191,

315, 728, 735, 736, 737, 738, 770/738 कुल किता 09 कुल रकबा 1.50 हैक्ट0 स्थित हैं में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट 29.03.2019 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. रतना पिता उदा 1/2, राधी पत्नी उदा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन ICICI बैंक शाखा भादसोडा

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	190 / 1	0.05	पडत 2
2	738 / 1	0.37	चाही 3
योग	कुल किता-02	0.42	

2. गेरू, शंकर, सोवनी पिता नोला 26/96, वरदीचन्द, काशीराम पिता चम्पा 70/384, नाराण पिता किशोर, रामी पत्नी किशोर 70/384, माधवलाल पिता परथा 70/384, माधवलाल, रामेश्वर, शान्तिलाल, बट्टीलाल, प्रेमी, सन्तोष, कमला पिता हरलाल, प्रताबी बाई पत्नी हरलाल 70/384 जाति जाट सा0 देह खातेदार, रहन ICICI बैंक शाखा फतहनगर हिस्सा नारायण, रामी पर रहन ICICI बैंक शाखा भादसोडा हिस्सा बट्टीलाल पर

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	190 / 2	0.09	पडत 2
2	191	0.05	पडत 2
3	735	0.23	चाही 3
4	736	0.03	बारानी 3
5	737	0.34	चाही 3
6	738 / 2	0.22	चाही 3
योग	कुल किता-06	0.96	

3. रतना पिता उदा, राधी पत्नी उदा 5/16, गेरू, शंकर, सोवनी पिता नोला 3/16, नाराण पिता किशोर, रामी पत्नी किशोर 1/8, वरदीचन्द, काशीराम पिता चम्पा 1/8, माधवलाल पिता परथा 1/8, माधवलाल, रामेश्वर, शान्तिलाल, बट्टीलाल, प्रेमी, सन्तोष, कमला पिता हरलाल, प्रताबीबाई पत्नि हरलाल 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार,

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	315	0.04	खड्ढा
2	728	0.05	पडत 1
3	770 / 738	0.03	आ0चा0
योग	कुल किता-01	0.12	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन